उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान (नवीन भवन), कालाकांकर हाउस,
पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007

पत्रांक 15791/यू.पी.रेरा/प्रशा.प्रको./2024-25 दिनांकः 17/10/2024

कार्यालय आदेश

प्रदेश के रियल-एस्टेट सेक्टर के विकास में भू-संपदा अभिकर्ताओं की अहम भूमिका एवं योगदान को ध्यान मे रखते हुए एवं अभिकर्ताओं द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों में ओर अधिक स्थिरता लाए जाने के उद्देश्य से उ.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अभिकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इससे अभिकर्ताओं को नियामक ढांचे का ज्ञान, नियमों की समझ, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुपालन एवं जागरूकता बढ़ेगी तथा सेक्टर के नियमन एवं समग्र विकास में भी बढ़ोतरी होगी।

उ.प्र. रेरा में पंजीकरण से पूर्व अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जो अभिकर्ता उ.प्र. रेरा में पहले से पंजीकृत हैं, उनके द्वारा एक वर्ष की अवधि में प्रशिक्षण ग्रहण कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा अन्यथा पूर्व मे निर्गत किया गया पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम रेरा अधिनियम, उ.प्र. रेरा नियमावली, विनियमों, समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों, हितधारकों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, घर खरीदारों तथा प्रोमोटर्स के मध्य रियल एस्टेट लेनदेन को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रासंगिक कानूनों पर केंद्रित होगा। प्रशिक्षण कुल तीन दिवस का होगा तथा अभिकर्ताओं को मूल्यांकन के उपरांत प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाएंगे। वर्तमान मे प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने हेतु जनपद लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं अयोध्या के पंजीकृत अभिकर्ताओं से रेरा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के क्रम मे उ.प्र. रेरा में अभिकर्ता के रूप मे पंजीकरण कराने के इच्छुक लखनऊ जिले के आवेदकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रतिभाग हेतु रेरा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी आवेदन के उपरांत प्रदान की जाएगी।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव